न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 30/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री विमल कुमार जैन उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री नन्द किशोर जैन, निवासी शिव कॉलोनी, सिकराय, जिला दौसा
एफबीओ मैसर्सः—जैन ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, सिकराय, जिला दौसा।
2. श्री राजकुमार गुप्ता मैसर्सः— एन.बी. एन्टरप्राइजेज, जी—696 ए, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर भागीदार।
3. श्री कमलेश कुमार गुप्ता, मैसर्सः—एन.बी. एन्टरप्राइजेज, जी—696 ए, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर भागीदार।
4. कान्ता रावत मैसर्सः— एन.बी. एन्टरप्राइजेज, जी—696 ए, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर भागीदार।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री सोमेश्वर प्रकाश गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 06.02.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.01.2018 को प्रातःकाल 10:30 बजे मैसर्सः— जैन ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, सिकराय, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नन्द किशोर जैन, निवासी शिव कॉलोनी, सिकराय, जिला दौसा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में लकडी की एक रैक में 40 पॉलीपैक पाउच 500 ग्राम वजन में पैक हल्दी पाउडर (नवीन) एगमार्क आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इनमें से 4 मूल पॉलीपैक X 500 ग्राम वजन के नमूने की जॉच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 300 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। विक्रेता ने मौक पर उक्त खाद्य पदार्थ का इनवॉयस नं. 01914 दिनंक 03.01.2018 प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा पैक हल्दी पाउडर (नवीन) एगमार्क के पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1821 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं द्वारा दिनांक 12.01.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.01.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.01.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (नवीन) एगमार्क के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./39/एक्ट/2018/133 दिनांक 23.01.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (नवीन) एगमार्क का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 व 4 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जो लौटकर प्राप्त नहीं हुये और न ही अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 व 4 उपस्थित हुए। जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 की बहस सुनी गई।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (नवीन) एगमार्क के लेबल पर "BEST BEFORE EIGHT MONTHS FROM THE DATE OF PAKING" प्रिन्ट होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। जो कि एफएसएसए के पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग नियम 2011 के नियम 2.2.2(10) का उल्लंघन होने के कारण मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 ने राजस्थान हाइकोर्ट जयपुर बैंच द्वारा ओमप्रकाश नाटानी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2015 के न्यायिक दृष्टान्त 2017 (1) (FAC) 255 की प्रति प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि BEST BEFORE EIGHT MONTHS FROM THE DATE OF PAKING एवं BEST BEFORE EIGHT MONTHS FROM THE PACKAGING के भावार्थ में खाद्य पदार्थ को उपयोग करने के सम्बन्ध में अन्तर नहीं है। इसलिये उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने को मिसब्राण्ड नहीं माना जाना चाहिए। अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जाने का अनुरोध किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः— 07.02.2019

क्रमांक/312-317

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नन्द किशोर जैन, निवासी शिव कॉलोनी, सिकराय, जिला दौसा एफबीओ मैसर्सः—जैन ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, सिकराय, जिला दौसा।
4. श्री राजकुमार गुप्ता मैसर्सः— एन.बी. एन्टरप्राइजेज, जी—696 ए, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर भागीदार।
5. श्री कमलेश कुमार गुप्ता, मैसर्सः—एन.बी. एन्टरप्राइजेज, जी—696 ए, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर भागीदार।
6. कान्ता रावत मैसर्सः— एन.बी. एन्टरप्राइजेज, जी—696 ए, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर भागीदार।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा